पत्रांकः– DFP/F1-06/2014

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पटना, दिनांक :–

संकल्प

विषय :– कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की स्वीकृति ।

इस योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषकों को मिलने की सम्भावना है ताकि अपने उत्पाद के शीत भंडारण के उपरान्त उन्हें मूल्य संबर्द्धन का लाभ प्राप्त हो सके। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना के स्तर से समेकित योजना के अन्तर्गत रुलर एग्री विजनेस सेन्टर (आर0ए0बी0सी0) इकाई को 35 प्रतिशत तक अनुदान देय हैं । आर0ए0बी0सी0 इकाई के मुख्य अवयव के रुप में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किया जाता है।

2. कृषि रोड मैप से उद्योग विभाग को जोड़ने के कारण राज्य सरकार के स्तर से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु अलग योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत 5000 से 10000 मे0 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को कैपिटल एक्सपेन्डीचर पर 30 प्रतिशत तक अनुदान एवं 10000 मे0 टन से अधिक क्षमता वाली इकाईयों को 35 प्रतिशत तक अनुदान देना प्रस्तावित है। अनुदान की अधिकतम राशि दोनों स्थिति में रु0 5.00 (पॉच) करोड़ तक होगी। यह योजना पूर्व से खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के स्तर से संचालित समेकित योजनान्तर्गत आर0ए0बी0सी0 योजना के अतिरिक्त होगा।

3. 5000–10000 मे0 टन क्षमता वाली इकाई की परियोजना लागत रु0 10–15 करोड़ संभावित है जिसमें से 70 प्रतिशत की राशि कैपिटल एक्सपेन्डीचर के रुप में कर्णांकित की जा सकती है जिसके विरुद्ध अनुदान देय होगा। 10000 मे0 टन से अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज इकाई की परियोजना लागत रु0 15–20 करोड़ संभावित है।

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 में 5000 से 10000 मे0 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज इकाई का कैपिटल एक्सपेन्डीचर रु0 7(सात) से 10(दस) करोड़ संभावित है। जिसपर 30 प्रतिशत की दर कुल रु0 2.10 से अधिकतम रु0 3.00(तीन) करोड़ अनुदान दिया जायेंगा। इसी प्रकार 10000 मे0 टन से अधिक क्षमता वाली इकाई के कैपिटल एक्सपेन्डीचर रु0 10 (दस) से 14 (चौदह) करोड़ पर 35 प्रतिशत की दर से रु0 3.50 (तीन करोड़ पचास लाख) से अधिकतम रु0 5 (पॉच) करोड़ तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता मांग संख्या–23 उप शीर्ष–0159– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन, विपत्र कोड– पी0 2852801020159, राज्य योजना स्कीम कोड– आई0 एन0 डी0–5431, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से विकलित होगा।

6. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार,पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। साथ ही इसकी 100(एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:–**DFP/F1-06/2014** पटना, दिनांक :–
प्रतिलिपि:– प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:–**DFP/F1-06/2014** पटना, दिनांक :–
प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0एवं हक0), बिहार,पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:–**DFP/F1-06/2014** 601 पटना, दिनांक :– 08/07/14
प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार,पटना/ निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार,पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, उद्योग विभाग, बिहार,पटना/प्रशाखा–1 (स), उद्योग विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
(हस्ताक्षर) 7/7
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।